न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 20/23

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अजय कुमार त्रिपाठी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर।		1 रमेश चन्द दुबे पुत्र सोमनाथ दुबे मैनेजर, पेंट्री कार ट्रेन नम्बर 20813, पुरी–जोधपुर एक्सप्रेस। Through Hakmi Chand D & Sons G-4, Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat) घर का पता– ग्राम सियरहा, पो. मोड जिला– भदोही (उत्तर प्रदेश) 2 Tapan kumar S/o Pundarakdhya Mally, Hakmi chand D & Sons (Pantry Car Train No 20813, Puri-Jodhpur) Near Rawat Hotel, Jodhpur (Raj) 342005 G-4, , Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat) 3 Hakmi Chand D & Sons G-4, Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat) 4 K.A.A.S Prasad (General Manager(APS) Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 5 Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012

आदेश

दिनांक :17.11.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 08-03-2019 को पुरी–जोधपुर एक्सप्रेस में खाद्य पदार्थ Tonned Milk Visakha Dairy में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. NWR- 569 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/215/एक्ट/2019/269 दिनांक 28.03.19 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना पदार्थ Tonned Milk Visakha Dairy मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रमेश चन्द दुबे पुत्र सोमनाथ दुबे मैनेजर, पेंट्री कार ट्रेन नम्बर 20813, पुरी– जोधपुर एक्सप्रेस, Tapan Kumar S/o Pundarakdhya Mally, Hakmi chand D & Sons (Pantry Car Train No 20813, Puri-Jodhpur) Near Rawat Hotel, Jodhpur (Raj) 342005 G-4, Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat), Hakmi Chand D & Sons G-4, Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat), K.A.A.S Prasad (General Manager(APS) Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 and Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 19-06-2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 02 Tapan Kumar S/o Pundarakdhya Mally की मृत्यु दिनांक 23.12.2019 को हो हाने से प्रकरण से हटाने का निवेदन किया, जिस पर प्रार्थी को सुना गया बाद सुनवाई अप्रार्थी संख्या 02 को प्रकरण से Strike out किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ने दिनांक 27.10.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर से हमारी फर्म से Tonned Milk Visakha Dairy का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, हमने यह दूध Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 से खरीदा था, अप्रार्थी संख्या 03 ने दिनांक 17.11.2023 को अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम जोधपुर से हमारी फर्म से Tonned Milk Visakha Dairy का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया, हमने यह दूध Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 से खरीदा था, अप्रार्थी संख्या 04 व 05 ने दिनांक 11.08.23 को जवाब पेश कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3.पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/215/एक्ट/2019/269 दिनांक 28.03.19 के अनुसार खाद्य पदार्थ Tonned Milk Visakha Dairy का नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1. रमेश चन्द दुबे पुत्र सोमनाथ दुबे मैनेजर, पेंट्री कार ट्रेन नम्बर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

20813, पुरी– जोधपुर एक्सप्रेस, अप्रार्थी संख्या 03 Hakmi Chand D & Sons G-4, Nityanand Apartment Vakilwadi Near Punit Ashram, Mani Nagar Ahmedabad (Gujrat) अप्रार्थी संख्या 04 K.A.A.S Prasad (General Manager(APS) Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 and अप्रार्थी संख्या 05 Srivijayvavisakha Milk Producers Company Limited Visakha Dairy, Vishakhapatanam-530012 संयुक्त रूप से रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)